

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

—::— प्रारूप ज्ञापन —::—

क्रमांक बी/4657 /  
पांच-5-4/74

जबलपुर, दिनांक 3 / अक्टूबर, 2016

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
(समस्त) (म0प्र0) ।


प्रधान न्यायाधीश,  
कुटुम्ब न्यायालय,  
(समस्त) (म0प्र0) ।

विषय :- प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के आवासगृहों संबंधी नीति बावत् ।

.....


मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए)19/03/21-ब(एक), दिनांक 15.06.2006 के तहत राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) 1022/89 "ऑल इंडिया-जजेज एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य" में दिनांक 21 फरवरी, 2006 को दिये गये निर्देशों के परिपालन में मंत्रिपरिषद् आदेश दिनांक 05 जून, 2006 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 01.11.1999 से प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत कंडिका 14 (1), (2) एवं (5) के द्वारा आवास सुविधा के संबंध में जारी निर्देशों के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा तैयार की गई नीति की अंग्रेजी एवं हिन्दी रूपांतरण की एक-एक प्रति निर्देशानुसार आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित करते हुये निवेदन है कि उक्त नीति दिनांक 01.10.2016 से प्रभावशील होने के कारण उक्त नीति की प्रति आपकी स्थापना में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों के मध्य परिचालित की जावें तथा प्रेषित नीति के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के आवास संबंधी प्रकरणों का निराकरण करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- आवास संबंधी नीति की अंग्रेजी एवं  
हिन्दी रूपांतरण की प्रतिलिपि ।

  
(सनत कुमार कश्यप)  
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

dated 15-6-2006 and circular issued to all District Collectors vide फा.क.3 (ए)19/2003/21-ब(एक)/2017 issued in August 2015 by Secretary Law and Legislative Affairs Department.

6. The District Collector, is enjoined to acquire suitable private accommodation and make available the same to Judicial Officer and the rent thereof shall either be paid directly to the landlord by the State Government or shall be reimbursed to the Officer by the State Government.
7. The District Collector, while acquiring the private accommodation shall select the locality in keeping with the dignity of office of the Judicial Officer and security concerns of the officer and his family members.
8. In case the private accommodation so identified by the District Collector is not found suitable because of its condition or locality etc. by the Officer, then subject to verification by District Judge regarding its unsuitability, the Officer shall be at liberty to identify suitable accommodation of premises having such area, not more than to which he is entitled to, in preferred locality for his residence and may negotiate the rent with the landlord. In such event, the liability of the State Govt. to pay/reimburse the rent shall be in accordance with the guidelines formulated as per Rule 60(2) of Index 6 of Part-II of M.P. Financial Code. Any residual rent amount over and above the same in such case shall be payable by the Officer which shall not be subject to reimbursement.
9. Any dispute regarding the quantum of rent payable by the State Government in any individual case shall finally be decided by the Hon'ble the Chief Justice or Hon'ble Judge nominated by His Lordship for the purpose.



**(MANOHAR MAMTANI)**  
**REGISTRAR GENERAL**  
**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH**

## म.प्र. राज्य में न्यायिक अधिकारियों के आवास के संबंध में नीतिगत दस्तावेज

1. प्रारंभ में इस बात पर बल दिया जाना आवश्यक है कि एक न्यायिक अधिकारी से, उसके कर्तव्य की प्रकृति एवम् अनावश्यक विवाद से बचने हेतु यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे स्थान पर निवास करे जहाँ सामान्य जनता से व्यक्तिगत संपर्क के न्यूनतम अवसर हो तथा इसलिए यथासंभव यह अपेक्षित है कि न्यायिक अधिकारी का आवासीय भवन या तो न्यायिक संकुल (pool) में हो अथवा जिलाधीश द्वारा आवंटित सरकारी आवास हो।
2. एक न्यायिक अधिकारी निजी आवास में रहने का पात्र निम्नलिखित मामलों में होगा—
  - a. जब न्यायिक अथवा सरकारी संकुल (पूल) में आवास उपलब्ध ना हो।
  - b. जब न्यायिक अथवा सरकारी संकुल में उपलब्ध आवास उस श्रेणी का ना होकर, जिसको कि वह प्राप्त करने का पात्र है, से निम्नतर श्रेणी का हो तथा अधिकारी ऐसा आवास स्वयं के निवास के लिए उपयुक्त नहीं पा रहा हो।
  - c. न्यायिक अथवा सरकारी पूल/संकुल के उस श्रेणी का आवास जिसे अधिकारी पाने की पात्रता रखता है, उपलब्ध होते हुए भी, बाध्यकारी कारणों जैसे आवंटित आवास की दशा या व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक सदस्यों की शारीरिक विकलांगता के कारण वह उसे अनुपयुक्त पाता हो। ऐसे मामलों में पात्रता देना जिला न्यायाधीश की संतुष्टि का विषय होगा।
3. जहाँ अधिकारी न्यायिक अथवा सरकारी संकुल के उस आवास को प्राप्त करने की सहमति देता है जिसको कि वह प्राप्त करने की पात्रता रखता है, से निम्नतर श्रेणी का है, तो वह अतिरिक्त गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखेगा क्योंकि अधिकारी, जो निशुल्क आवास की पात्रता रखता है, अतिरिक्त गृह भाड़ा भत्ता का दावा नहीं कर सकता।
4. यह कि ऐसे आवास के आवंटन होने के पश्चात्, जिसकी कि वह अधिकारी पात्रता रखता है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन/निर्माण की अनुमति, उस सीमा तक जिससे कि उसकी अनुमोदित प्रकृति की संरचना के "टाईप" में परिवर्तन हो जाएं, नहीं होगी।
5. जहाँ अधिकारी निजी आवास को प्राप्त करने की पात्रता रखता है, जिला न्यायाधीश उस जिले के जिलाधीश से मिलकर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15.6.2006 के खंड 14 (2) तथा सभी जिलाधीशों को सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा दिनांक अगस्त 2015 को जारी परिपत्र फा. क. 3 (ए) 19/2003/21-ब (एक)/2017 के आलोक में निर्णय लेगा।
6. जिलाधीश उपयुक्त निजी आवास को अधिग्रहण करने और उसे न्यायिक अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए आदेशित है तथा राज्य सरकार द्वारा उस आवास का किराया या तो उसके मालिक को सीधे भुगतान किया जाएगा अथवा अधिकारी को उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
7. जिलाधीश निजी आवास का अधिग्रहण करते समय न्यायिक अधिकारी के पद की गरिमा तथा

अधिकारी एवम् उसके पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र का चयन करेगा।

8. जहाँ जिलाधीश द्वारा चयनित निजी आवास उसकी दशा एवम् क्षेत्र इत्यादि के कारण अधिकारी द्वारा उपयुक्त नहीं पाया जाता है तब जिला न्यायाधीश द्वारा उसकी अनुपयुक्तता के सत्यापन के पश्चात् अधिकारी उपयुक्त आवास गृह उतने क्षेत्र का जितना कि वह पाने की पात्रता रखता है से अनधिक, को चयन करने के लिए स्वतंत्र होगा। आवास के संबंध में चयनित क्षेत्र के विषय में वह मकान मालिक से किराए के संबंध में चर्चा कर सकेगा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का दायित्व होगा कि वह किराए का भुगतान या प्रतिपूर्ति मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग - 2 की अनुक्रमणिका 6 के नियम 60 (2) में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार करे। ऐसे मामले में कोई भी अवशिष्ट किराया राशि जो उससे अधिक की हो का भुगतान अधिकारी द्वारा ही देय होगा जो प्रतिपूर्ति के अध्यक्षीन नहीं होगा।
9. किसी भी मामले में राज्य सरकार द्वारा देय किराए की राशि से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय किसी विशिष्ट प्रकरण की स्थिति में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा अथवा इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा नामित माननीय न्यायाधिपति महोदय द्वारा किया जाएगा।

  
(मनोहर ममतानी)

रजिस्ट्रार जनरल

म.प्र. उच्च न्यायालय